सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 03, मंगलवार, शाके 1943-फरवरी 22, 2022 *Phalguna 03, Tuesday , Saka 1943- February 22, 2022*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

बोर्ड ऑफ इन्डियन मेडिसीन

आदेश

जयपुर, जुलाई 22, 2021

संख्या प.25(23)आयु./2017 पार्ट :-निर्देशानुसार राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 6(2) में विहित प्रावधानो के तहत इन्डियन मेडिसीन बोर्ड में निम्नाकिंत सदस्य का मनोनयन किया जाता हैं ।

1. डॉ. प्रेम सिंह माली, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, राजकीय आयुर्वेद औषधालय, हतौना, टोंक-(रजि. संख्या 22474 - अ श्रेणी)

उपर्युक्त सदस्य की पदावधि राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 15 तथा अन्य तत्सम्बन्धि प्रावधानो के अनुसार नियत रहेगी।

उक्त मनोनयन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आर.पी. चतुर्वेदी,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।